कार्यवृत्त दिनांक 08/08/2024

चीफ प्राक्टर कार्यालय पत्र संख्या–494(ए)/प्रा0/2024 दिनांक 06.08.2024 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यरत संकाय सदस्यों के लिए **"के0जी0एम0यू0 संकाय सदस्य आचार संहिता"** बनाये जाने हेतु दिनांक 08.08.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों की बैठक आहूत की गयी जिसमें समस्त सदस्य उपस्थित हुए।

प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों द्वारा गहनता से विचार विमर्श करने के उपरान्त निम्नवत के.जी.एम.यू. संकाय सदस्य आचार संहिता बनाये जाने की संस्तुति करती है:–

PREAMBLE

1. The King George's Medical University is dedicated to motives of research, education and patient care. The vision of the university is to become one of the world's best providers of high quality teaching and excellence in education, generate outstanding leaders in health sciences, promote multidisciplinary scientific biomedical research and provide compassionate, patient-centered care of the highest quality.
2. The University adheres to the principles of ethics and professionalism and caters to instill these values in its faculty members a sense of medical ethics, moral values, team spirit, responsibilities and sense of integrity Also, it nurtures professionalism and behavioral skills in medical professionals.
3. It endeavors to provide a work environment that enhances competency through knowledge and skills, reading and learning activities and continuous education.

CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT

Consistent with the mission and vision policies of the University, the faculty at the King George's Medical University is expected to lead by example by adhering to following:

1. Treat all staff, students and trainees with fairness, respect and civility without bias based on age, gender, race, ethnicity, religion, disability or sexual orientation.
2. When assigned an administrative or supervisory role, they should be open to feedback and should contribute by giving constructive suggestions and improvement when remediation is required. Also, help in resolving conflicts in a fair and non-threatening manner.
3. The faculty is expected to be punctual when reporting to their assigned work area like OPDs, classroom or wards.
4. When assigned a teaching role, they should teach courses in their department in accordance with the needs, requirements and expectations of the unit and the general requirements concerning the conduct of classes specified in university regulations.
5. Good teaching requires continual application and effort. Faculty who teach are expected to keep abreast of new developments in their specialties and should make effort to upgrade and keep improvising their teaching skills A teacher should be engaged with his/her particular discipline and should be able to convey to the students the value of the subject.
6. As a teacher, they should be able to identify students with sub-optimal performance and make arrangements for extra classes or remedial training sessions for these to bring them at par with the other students.
7. As a teacher, they should make effort to instill in their students ethical and moral values too.

8. When in the role of a clinician, the faculty is bound to deliver high standard of patient care without any bias or prejudices. The faculty is expected to treat the patient and their attendants with respect and civility. Also, they are expected to maintain confidentiality regarding patient's diagnosis and treatment.
9. The faculty is expected to actively contribute to medical research in the form of medical paper publications, paper presentations and intra and extra-mural projects. Also, they are encouraged and motivated to think out-of-the box and come up with innovations/patents related to their field of work.
10. The faculty should exhibit a constant effort to contribute to the progress and of University and medical profession as a whole.

THE FACULTY SHOULD REFRAIN FROM

1. Any discrimination among the colleagues, subordinate staff or studentson the basis of caste, culture, religion, gender or socio-economic background.
2. Any form of indiscipline in regards to punctuality, honesty or morality. They should strictly refrain from any inappropriate behavior suggestive of sexual harassment.
3. Should never expect/demand personal favors from patients, staff or students.
4. Should not be involved in any suspicious activities or mal-practices which bring a bad name to the University and medical profession as whole.
5. Should not overlook or violate University/ administrative policies.

(डा0 सुहैल सिद्दकी)
सहायक प्राक्टर

(डा0 अंजनी पाठक)
सहायक प्राक्टर

(डा0 शिउली)
सहायक प्राक्टर

(डा0 भुपेन्द्र कुमार)
सहायक प्राक्टर

(डा0 सुषमा तोमर)
सहायक प्राक्टर

(डा0 वैभव जायसवाल)
सहायक प्राक्टर

(डा0 आर0के0 दीवान)
सहायक प्राक्टर

(डा0 विकास वर्मा)
एडिशनल प्राक्टर

(डा0 अंकुर बजाज)
एडिशनल प्राक्टर

(डा0 दुर्गेश कु0 द्विवेदी)
एडिशनल प्राक्टर

(डा0 रीमा कुमारी)
एडिशनल प्राक्टर

(डा0 क्षितिज श्रीवास्तव)
चीफ प्राक्टर

कार्यवृत्त दिनांक 17/09/2024

चीफ प्राक्टर कार्यालय पत्र संख्या–635 (ए)/प्रा0/2024 दिनांक 13.09.2024 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ में विद्यार्थियों के लिए **"के0जी0एम0यू0 विद्यार्थी आचार संहिता"** बनाये जाने हेतु दिनांक 17.09.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों की बैठक प्रॉक्टर कक्ष में आहूत की गयी जिसमें समस्त सदस्य उपस्थित हुए।

प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों द्वारा गहनता से विचार विमर्श करने के उपरान्त निम्नवत के.जी.एम.यू. विद्यार्थी आचार संहिता बनाये जाने की संस्तुति करती है:–

विद्यार्थी का आचार संहिता उन नियमों और दिशानिर्देशों का एक सेट है जो एक अनुशासित सकारात्मक और सीखने के अनुकूल वातावरण बनाएं रखनें में मदद करते है। सभी विद्यार्थियों को इन नियमों का पालन करना आवश्यक है ताकि वे अपने शैक्षणिक और नैतिक विकास को सुचारू रूप से आगे बढा सकें।

विद्याार्थियो के लिए आचार सहिता के प्रमुख नियमः–

1. अनुशासन एंव समय पालनः– .
   - विद्याालय /महाविद्याालय में समय पर पहुंचे।
   - कक्षाओं में ध्याान दे और व्यवधान उत्पन्न न करे।
   - किसी भी परीक्षाया गतिविधि में अनुचित साधन (नकल आदि) का प्रयोग न करें
2. सम्मान और सद्भावनाः–
   - शिक्षकों कर्मचारियों और सहपाठियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें।
   - जाति, धर्म लिंग या किसी अन्य अधार पर भेदभाव न करें।
   - किसी भी प्रकार की बदतमीजी , गाली –गलोज या हिंसा से बचें।
3. ईमानदारी और नैतिकताः–
   - शैक्षिणक कार्यो में ईमानदारी रखे और नकल से बचें।
   - चोरी , झूठ और अन्य अनैतिक गतिविधियों से दूर रहें।
4. स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षणः–
   - विद्याालय /महाविद्याालय परिसर को स्वच्छ रखें।
   - प्लास्टिक और अन्य हानिकारक कचरें का उचित निपटारा करें।
5. संस्थान की संपति का संरक्षणः–
   - पुस्तकालय की किताबें, लैब के उपरकरण, फर्नीचर आदि को नुकसान न पहुंचाए।
   - संस्थान के संसाधनों का सही उपयोग करें।
6. तकनीक और सोशल मीडिया का सही उपयोगः–
   - मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों का दुरूपयोग न करें।
   - साइबरबुलिग, अनुचित गेस्ट और अफवाहे फैलाने से बचें।
7. टीम वर्क और सहयोगः–
   - समूह गतिविधियों और परियोजनाओ में सक्रिय रूप से भाग लें।
   - दूसरों की मदद करे और सामूहिक विकास को प्राथिमिकता दें।

8. आत्म–अनुशासन और आत्म निर्भरता:–

- अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वंय लें।
- लक्ष्य निर्धारित करे और नियमित अध्ययन करें।

9. समस्या समाधान और संवाद:–

- किसी भी समस्या को शांति और समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें।
- शिक्षिकों और प्रबंधन से मार्गदर्शन करें।

10. परिधान और व्यवहार:–

- संस्थान द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करें।
- शालीन और मर्यादित आचरण बनाएं रखें।

निष्कर्ष :–विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता न केवल उनके व्यक्तिगत और शैक्षिणक विकास में मदद करती है। बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में भी प्रेरित करती है। इन नियमों का पालन करके वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते है और एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में समाज में अपनी पहचान बना सकतें है।

(डा0 सुहैल सिद्दकी)
सहायक प्राक्टर

(डा0 अंजनी पाठक)
सहायक प्राक्टर

(डा0 शिउली)
सहायक प्राक्टर

(डा0 भुपेन्द्र कुमार)
सहायक प्राक्टर

(डा0 सुषमा तोमर)
सहायक प्राक्टर

(डा0 वैभव जायसवाल)
सहायक प्राक्टर

(डा0 आर0के0 दीवान)
सहायक प्राक्टर

(डा0 विकास वर्मा)
एडिशनल प्राक्टर

(डा0 अंकुर बजाज)
एडिशनल प्राक्टर

(डा0 दुर्गेश कु0 द्विवेदी)
एडिशनल प्राक्टर

(डा0 रीमा कुमारी)
एडिशनल प्राक्टर

(डा0 क्षितिज श्रीवास्तव)
चीफ प्राक्टर

कार्यवृत्त दिनांक 10/10/2024

चीफ प्राक्टर कार्यालय पत्र संख्या–689 (ए)/प्रा0/2024 दिनांक 09.10.2024 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के लिए **"के0जी0एम0यू0 कर्मचारी का आचार संहिता"** बनाये जाने हेतु दिनांक 09.10.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों की बैठक आहूत की गयी जिसमें समस्त सदस्य उपस्थित हुए।

प्राक्टोरियल बोर्ड सदस्यों द्वारा गहनता से विचार विमर्श करने के उपरान्त निम्नवत के.जी.एम.यू. कर्मचारी आचार संहिता बनाये जाने की संस्तुति करती है:–

के0जी0एम0यू0 कर्मचारियों के लिए आचार संहिता एक महत्वपूर्ण दास्तावेज है, जो उनके कार्यो और आचरण को दिशा निर्देशित करता है। यह न केवल सरकारी कर्मचारियों की नैतिकता और जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता है बल्कि यह समाज में विश्वास और पारदर्शिता को भी बढावा देता है।

- नैतिकता और ईमानदारी:– के0जी0एम0यू0 कर्मचारी समाज के प्रति उत्तरदायी होते है। आचार संहिता उन्हे नैतिकता और ईमानदारी के उच्च मानकों कपर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
- पारदर्शिता:– यह सुनिश्चित करती है कि के0जी0एम0यू0 कर्मचारी अपने कार्यो में पारदर्शिता बनाएं रखें, जिससे जनता का विश्वास बना रहे।
- जिम्मेदारी:– आचार संहिता कर्मचारियों को उनकें कार्यो के प्रति जिम्मेदार बनाती है। इससे वे अपने कर्तव्यों को सही तरीकें से निभाने के लिए प्रेरित होते हैं।
- व्यक्तिगत आचरण:– के0जी0एम0यू0 कर्मचरियों को अपने व्यक्तिगत जीवन शैली में भी उच्च मानकों का पालन करना चाहिए। जिससे किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार या अनैतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए।
- कार्यस्थल पर व्यवहार:–कार्यस्थल पर कर्मचारियों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग का भाव रखना चाहिए। उन्हे अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उचित व्यहार कना चाहिए।
- राजनीतिक गतिविधियॉ:– के0जी0एम0यू0 कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियो में भाग लेने से बचना चाहिए, ताकि उनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठें।
- सूचना का सरंक्षण:–सराकरी कर्मचारियों को संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए, उन्हे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी गोपनीय जानकारी सार्वजनिक न हों।

आचार संहिता का अनुपालन:– के0जी0एम0यू0 कर्मचारियों द्वारा आचार संहिता का अनुपालन आवश्यक है। यदि कोई कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।यह कार्यवाही कर्मचारी की स्थिति और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर की जाती हैं।

आचार संहिता का उल्लंघन:–संस्थान उल्लंघन की शिकायतों की जांच करके और संहिता का उल्लघन करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करके संहिता को लागू करता है। जिसमें निंदा, प्रमाणन को रद करना या संस्थान से निष्कासन शामिल हैं।

निष्कर्ष:– के0जी0एम0यू0 कर्मचारियों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता अंत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह न केवल उनके वयक्तिगत विकास मे सहायक होती है, बल्कि यह समाज में विश्वास और पारदर्शिता को भी बढावा देती है। इसलिए सभी कर्मचारियों को इसका पालन करना चाहिए ताकि वे अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सके और समाज में एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर सके।

(डा0 सुहैल सिद्दकी) सहायक प्राक्टर	(डा0 अंजनी पाठक) सहायक प्राक्टर	(डा0 शिउली) सहायक प्राक्टर	(डा0 भुपेन्द्र कुमार) सहायक प्राक्टर
(डा0 सुपमा तोमर) सहायक प्राक्टर	(डा0 वैभव जायसवाल) सहायक प्राक्टर	(डा0 आर0के0 दीवान) सहायक प्राक्टर	(डा0 विकास वर्मा) एडिशनल प्राक्टर
(डा0 अंकुर यजाज) एडिशनल प्राक्टर	(डा0 दुर्गेश कु0 द्विवेदी) एडिशनल प्राक्टर	(डा0 रीमा कुमारी) एडिशनल प्राक्टर	(डा0 क्षितिज श्रीवास्तव) चीफ प्राक्टर